

मोबाईल टावर की स्थापना हेतु संशोधित नीति

मानक एवं स्थल चिन्हांकन-

Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India में पंजीकृत मोबाईल सेवा ऑपरेटर्स/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों को ग्रीन बेल्ट, पार्क, सामुदायिक केंद्रों अथवा शापिंग सेंटर, होस्टिलिटी की छत्ती पर व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों की छत्ती, जिरसमें स्कूल, मॉडर्न होम एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ सम्मिलित नहीं होंगी, पर लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फीस लेते हुए मुख्य कार्यालयक अधिकारी, नोएडा के अनुमोदनोपरान्त मोबाईल टावर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

टाँवर लगाने की अनुमति आवासीय भवनों/भूखण्डों पर अनुमत्य नहीं की जायेगी। सभी मोबाईल सेवा ऑपरेटर्स/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा आवासीय भवनों/भूखण्डों पर स्थापित मोबाईल टाँवरों को हटा लिया जायेगा। ऐसा न किये जाने की दशा में जिन आवासीय भवनों/भूखण्डों पर मोबाईल टावर लगे होंगे, उन भवनों/भूखण्डों के नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा बलपूर्वक मोबाईल टावर को हटा दिया जायेगा।

दर (Tariff)

निर्माण से पूर्व टाँवर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क ₹ 1,00,000/- (₹ 00 लाख मात्र) एक मुश्क देय होंगे। यदि अनुमति आवेदन से पूर्व से ही टाँवर स्थापित हो तो आवेदन शुल्क ₹ 1,50,000/- (₹ 00 एक लाख पचास हजार मात्र) देय होगा। एक टाँवर का प्रयोग एक से अधिक कम्पनियों द्वारा किये जाने पर प्रति कम्पनी ₹ 50,000/- (₹ 00 पचास हजार मात्र) शुल्क अतिरिक्त देय होगा। उक्त आवेदन शुल्क non refundable होगा तथा किसी भी अन्य शुल्क में समाव्योजित नहीं किया जायेगा।

पार्क एवं ग्रीन बेल्ट में स्थल चिह्नित करते हुए लाईसेंस पद्धति पर लाईसेंस फी लेते हुए मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु मोबाईल सेवा ऑपरेटर्स/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों को अधिकतम 25 वर्गमीटर के भूखण्ड दिठे जायेगे जिन पर मोबाईल सेवा ऑपरेटर्स/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्माण कर मोबाईल टावर कार्यशील करना होगा तथा दिठे गये भूखण्डों पर केवल उतना ही निर्मित क्षेत्रफल अनुमत्य होगा जितना टाँवर गार्डरूम, डी0जी0 सेट एवं अन्य उपकरण लगाने हेतु न्यूनतम आवश्यकता होगी। मोबाईल टाँवर के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक निर्माण के अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केंद्र अथवा अन्य भवनों पर अथवा ग्रीन बेल्ट एवं पार्क में टाँवर लगाने की अनुमति पाँच वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी तथा लाईसेंस फीस ₹ 25,000/- प्रति माह की दर से देय होगी तथा उक्त दर में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि देय होगी। अग्रिम पाँच-पाँच वर्ष उपरान्त प्राधिकरण द्वारा तदनुसंग पुनः लाईसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। टावर लगाने हेतु अनुमति अधिकतम 20 वर्ष तक ही जायेगी। लाईसेंस फीस हेतु देय वार्षिक धनराशि प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह में अग्रिम देय होगी।

आवेदन के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹ 3.00 लाख (तीन लाख रुपये) की बैंक गारन्टी प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि लाईसेंस नवीनीकरण होता है तो बैंक गारन्टी धपिस करते हुए नवीनीकरण की दशा में बैंक गारन्टी भी पुनः देनी अनिवार्य होगी।

प्राधिकरण को देय लाईसेंस फीस का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो इस प्रकार दिसम्बर अवधि के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों में लाईसेंस अवधि में केवल दो बार ही अनुमत्य होगा। विस्तारण की दशा में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर ब्याज देय होगा। एक वर्ष के उपरान्त लाईसेंस फीस डिफाल्ट होने की दशा में टाँवर लगाने की अनुमति स्वतः ही निरस्त की जायेगी एवं बैंक गारन्टी प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। आवंटी/वट्टाधारक द्वारा जमा की गयी लाईसेंस फीस की धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समाव्योजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय वार्षिक फीस में समाव्योजित की जायेगी।

सक्षम प्राधिकारी

टीवर स्थापित करने हेतु अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मोबाइल द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदान की गयी अनुमति जनहित में किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। अनुमति निरस्त करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा कोई भी वित्तीय क्षति देय नहीं होगी। मोबाइल सेवा ऑपरेटरों/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को अनुमति निरस्त करने हेतु जारी पत्र की तिथि से 30 दिन के अन्दर कम्पनी के समस्त उपकरणों को स्थल से हटाना अनिवार्य होगा।

4 आवेदन

- 4.1 सेल्यूलर मोबाइल सेवा ऑपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मोबाइल को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जोकि संलग्न है, पार्क एवं ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टावर की स्थापना हेतु रखत चिन्हित करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।
- 4.2 व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो सेल्यूलर मोबाइल सेवा ऑपरेटर कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी तथा निर्मित भवनों/परिसर के पट्टाधारक की और से सम्युक्त रूप से आवेदन किया जायेगा।
- 4.3 व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर लाईसेन्स वांछित हो तो मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी/मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को आवेदन के साथ निर्मित भवन/परिसर स्वामी का समूचे 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें भवन स्वामी/पट्टाधारक द्वारा अपने भवन की छत पर टॉवर स्थापित करने की स्पष्ट सहमति व्यक्त की गयी हो।
- 4.4 आवेदन के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी/ मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर Indemnity bond जमा कराना होगा कि किसी प्रकार की क्षति होने पर उस क्षति की पूर्ति उनके द्वारा की जायेगी। आवेदक द्वारा न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता के साथ प्राधिकरण के पक्ष में तीन लाख की बैंक गारण्टी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी तथा अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदक द्वारा बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराना होगा।
- 4.5 लाईसेन्स हेतु आवेदन करते समय आवेदक को तीन प्रतियों में साईट प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें टीवर की लोकेशन, उसके अधिकतम ऊँचाई, आकार, हाई टेन्शन विद्युत लाइनें, टावर का वजन, माल/पैल माउन्टेड का विवरण एवं एन्टिनाओं की संख्या आदि का विवरण होगा।
- 4.6 ग्रीन बेल्ट, पार्क एवं व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक सैक्टरों में निर्मित भवनों/परिसर पर आवेदक को Ground Based Tower & Roof Top BTS towers की स्थापना हेतु structural stability certificate प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन के साथ निम्नलिखित सरखाओं में से किसी एक संस्था के स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा इस आशय का प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त टीवर की बुद्धता एवं उससे भवन की स्ट्रक्चरल स्टैबिलिटी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - Structural Engineer of state /local bodies
 - Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
 - IIT
 - NIT
 - Any other agency authorized by local body.
- 4.7 सेल्यूलर टीवर हेतु लगाये जाने वाले जनरेटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो यु0पी0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा संरचना सीमित करने हेतु कोई अनापत्ति वांछित है तो आवेदक द्वारा प्राप्त की जायेगी।
- 4.8 आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
 - i) Application money, license fees and bank guarantee.
 - ii) Department of Telecommunication (DoT) द्वारा जारी Copy of relevant license / Infrastructure Provider Registration Certificate.
 - iii) Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) to the manufacturers of the diesel Generator (DG) sets.
 - iv) Copy of clearance from fire Safety Department only in case for high rise buildings where fire Clearance is mandatory.
 - v) Forest protected areas में copy of clearance from state Environment & Forest Department.

- vi) Self Declaration on EMF level to be submitted as per DoT Guidelines and after installation of active antennas, acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of the self certificate submitted by Telecom Service Provider/ infrastructure Provider in respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top/pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae start radiating.
- vii) Self declaration to submit a copy of SACFA clearance / copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/ IPs will take corrective actions/ remove the tower and the same acknowledgement copy must be submitted to Noida Authority within 3 months time from the date of operation.
- viii) Structural Stability certificate.
- ix) Affidavit and indemnity bond.
- x) Side plan in 3 copies.
- 5 अन्य नियम व शर्तें
- 5.1 आवेदन पत्र के साथ उक्त प्रस्तर 2 में वर्णित आवेदन शुल्क तथा एक वर्ष का अग्रिम मासिक शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से नोएडा/दिल्ली की शाखा पर देय होगा अनिवार्य है।
- 5.2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को उनके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय समय पर लाईसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5.3 नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदक मानने के लिए बाध्य होगा।
- 5.4 किसी देवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण मोबाईल टावर हेतु स्थल का कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण जमा धनराशि को मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी को 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापिस कर दी जायेगी।
- 5.5 किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय जहाँ सम्पत्ति स्थित है का होगा।
- 5.6 मोबाईल सेवा ऑपरेटर/कम्पनी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम सन 1976 (यू.पी. एक्ट नं 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगे।
- 5.7 निर्मित टावर का प्रयोग विज्ञापन लगाने अथवा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।
- 5.8 धमनी का सेल्युलर टावर निर्माण/स्थापना/संचालन हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुरूप संबंधित विभागों से आवश्यक प्रमाण पत्र आवश्यक ही तो उसे निर्माण प्रारम्भ करके/संचालन से पूर्व प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
- 5.9 सेल्युलर टावर कम्पनियों को प्राधिकरण की भवन विनियमावली मान्य होगी।
- 5.10 तैड झूट टॉप से टावर की ऊँचाई 30 मी0 से अधिक होने पर प्रार्थी को स्वीकृति से पूर्व Copy of SACFA clearance / copy of SACFA application के साथ-साथ SACFA Clearance हेतु जमा करायी गयी Airpun Authority of India Ltd. के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
- 5.11 मोबाईल सेवा ऑपरेटर/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा 2 जी, 3जी की सेवाएं बन्द की जाती हैं तो ऐसा बन्ना में उनके द्वारा किटे गये किसी भी प्रकार के भुगतान की देयता प्राधिकरण स्तर पर देय नहीं होगी तथा भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा।
- 5.12 पार्क एव ग्रीन बेल्ट के भूखण्ड का हस्तान्तरण/संविधान परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा। पार्क एव ग्रीन बेल्ट के भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के अन्दर प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त कर संचालन प्रारम्भ करना होगा। इसमें किसी भी दश में समय विस्तारण अनुमत्त नहीं होगा। समयावधिगत क्रियाशील न होने की स्थिति में समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत भूखण्ड को रिक्त मानते हुए अन्य को लाईसेंस पद्धति पर भूखण्ड दे दिया जायेगा।
- 5.13 EMF सम्बन्धी मामलों में सम्बन्धित TERM Cell की सहमति के उपरान्त ही मोबाईल टावर के सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।